

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2020 (पौष 2, 1942)

कार्यमंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित सिफारिश को सदन द्वारा बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. वित्तीय कार्य -

निर्धारित समय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण 3 घंटे

2. विधि विषयक कार्य

- | | |
|--|---------|
| 1. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020. | 30 मिनट |
| 2. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020. | 30 मिनट |
| 3. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 | 30 मिनट |
| 4. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 | 30 मिनट |

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार तथा पारण को बुधवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के स्थान पर अब गुरुवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को लिया जायेगा।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.